(36)

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
श्रीकृष्णा शिक्षा विकास औ०प्र०केन्द्र
सीह पथसन - मथुरा

पत्रांक: 1/22/टी-3/रा०प्र०/भा०सं०संस्तुति लखनऊ: दिनांक: 7 जनवरी, 09

विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औ०प्र०केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बद्धन प्रदान किये जाने के बारे में महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उपसमिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी-समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 7/10/08 पर दिनांक 30/12/08 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" की उपसमिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उपसमिति द्वारा आपके संस्थान से संबंधित स्थायी समिति की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रमांक	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी०जी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR -7/10/2008 All Trades w.e.f Aug2008
2.	Fitter 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	
3.	D/M Mech. 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	
4.	D/M civil 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	
5	Surveyor 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	
			DGET 6/24/79/2008-TC 30/12/2008	

प्रयोग किये गये संकेत

(1) एस०सी०आई०आर०- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
(2) एस०आई०आर०- पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
(3) डी०आई०आर०- विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
(4) यू०सी०- विचाराधीन
(5) एन०आर०- संस्तुति नहीं किया गया।
(6) एन०सी०- विचार नहीं किया गया

2- आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गयी कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष:- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को

----2/-